मुरादाबाद रेल मंडल में दो और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा संभव

लखनऊ से सहारनपुर के बीच दौड़ेगी वंदेभारत

■ राजेश भाटिया

मुरादाबाद। मुरादाबाद रेल मंडल की पहली हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत देहरादून से नई दिल्ली के बीच 25 मई को उड़ान भरेगी। इस ट्रेन को हरी झंडी मिलने के साथ ही दो और हाईस्पीड ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। हाईस्पीड ट्रेन लखनऊ से हरिद्वार और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलाई जाएंगी। इससे मुरादाबाद यात्रियों को भी तेज रफ्तार ट्रेन की सौगात मिलेगी। ट्रेन से मुरादाबाद समेत मंडल के कई प्रमुख स्टेशन भी जुड़ सकेंगे। रेलवे में मांगी जा रही सूचनाओं से वंदे भारत के अन्य रेल मार्गों पर भी चलाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।

मुरादाबाद मंडल में पहली वंदे भारत के संचालन पर मुहर लग चुकी है। देहरादून-नई दिल्ली वंदे भारत 25 मई से चलने के आसार है। रेल प्रशासन ने तारीख मिलने के संकेत मिलते ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेल अफसरों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देहरादून आने पर संशय है, लिहाजा पीएम दिल्ली में वंदे भारत का रूट पर स्पीड ट्रायल होगा।

वंदेभारत ट्रेन का स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में भी कराएंगे

मुजफ्फरनगर। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से देहरादून के लिए प्रारंभ होने वाली वंदेभारत ट्रेन का स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में कराने का भरोसा दिलाया। वंदेभारत दिल्ली-देहरादून के लिए प्रारंभ हो रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में स्टॉपेज होने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसके लिए वह रेल मंत्री मिलकर जनपद वासियों के लिए इस ट्रेन की सुविधा मुहैया कराएंगे। उन्होंने रेल स्टेशन के सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई को बनाए रखने के लिए रेल अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर स्टेशन को भव्य बनाना केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। मुजफ्फरनगर रेल स्टेशन 10 करोड़ की लागत से राजस्थान के किशनगढ़ की तर्ज पर बना है।

झंडी दिखाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। देहरादून में रेलवे की तैयारी भी वीआईपी को केंद्र में रखकर हो रही है। रेल अधिकारी भी स्टेशन पर भी इन्हीं के अनुरूप बैठाने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वंदे भारत के रैक के 23 मई तक देहरादून पहुंचने की संभावना है। उद्घाटन से एक दिन पहले यानि 24 मई को वंदे भारत का रूट पर स्पीड ट्रायल होगा।

एक हजार यात्रियों के बैठने की होगी व्यवस्था

मुरादाबाद। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए देहरादून स्टेशन पर स्वागत कार्यक्रम की तैयारियां होने लगी हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में रेलमंत्री और उत्तराखंड के सीएम के मौजूद रहने के कारण रेलवे व्यापक तैयारियां कर रहा है। स्टेशन पर वीआईपी के रुकने के लिए ग्रीन हाउस भी तैयार होगा।

चुनाव में मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया : केशव मौर्य

सहारनपुर, संवाददाता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के सभी 17 मेयर के पदों पर जीत हासिल की है। अब भाजपा लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी सभी 80 सीटें जीतेगी। मुस्लिम समाज ने अब भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया है। देवबंद और चिलकाना में अध्यक्ष सीट पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत इसका प्रमाण है। इससे जहां भाजपा ने मुस्लिम तुष्टिकरण को खत्म कर दिया है, वहीं सपा-बसपा और रालोद की राजनीति खतरे में पड़ गई है।

उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद प्रेसवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के रूप में भाजपा को एक नया वोट बैंक तैयार किया है। निकाय चुनाव में मेयर के सभी सीट जीतकर यह साबित भी कर दिया है। निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा को वोट दिया है।

अपने-अपने दावे

निकाय चुनाव में रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया : जयंत

बागपत, वरिष्ठ संवाददाता। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी शुक्रवार को समरसता अभियान की शुरूआत करने बागपत पहुंचे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन में दरार की जो बातें चल रही हैं वे केवल हवा में हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन का विस्तार होगा।

जिससे किसान, मजदूर और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार का सफाया होगा।

रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा कि बागपत की पावन धरती से समरसता अभियान की शुरूआत हुई है। यह सौभाग्य की बात है। यहां के लोग आपसी भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। बागपत के लोग यदि दूसरे प्रदेशों में भी मिलते हैं तो वे मिट्टी के बारे में जरूर पूछते हैं।

उन्होंने कहा कि यही प्यार-सद्भाव लोकसभा चुनाव में असामाजिक ताकतों के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। जयंत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों से हर कोई परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं, किसानों को फसलों का सही दाम नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है।

रामपुर तिराहाकांड

कोर्ट ने पीड़िता को सुरक्षा के दिए आदेश

मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड के मामले में सरकार बनाम राधामोहन द्विवेदी व सरकार बनाम मिलाप सिंह मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर सात में पेशी हुई। सीबीआई केलोक अभियोजक ने कोर्ट के समुख एक गवाह के साक्ष्य रिकार्ड कराए।

वहीं उत्तराखंड संघर्ष समिति की ओर से अधिवक्ताओं ने पीड़ित महिलाओं के साक्ष्य के लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। इस संबंध में कोर्ट ने मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को गवाही के लिए सुरक्षा के लिए निर्देशित किया है।

लापता लेखपाल का शव खेत में मिला

दादरा। गांगनौली टीकरी बाईपास पर टीकरी कस्बे से छह दिन से घर लापता हुई लेखपाल का खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का चेहरा काला पड़ा हुआ था। दोपट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक व डॉग स्क्वायड टीम ने मुआयना किया। इंस्पेक्टर दोपट देवेश कुमार शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों पता चल सकेगा।

श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 25 घायल

नरौरा(बुलंदशहर), संवाददाता। आगरा से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर नरौरा गंगा घाट के लिए आ रहे श्रद्धालु सड़क हादसे का शिकार हो गए। शुक्रवार सुबह करीब सात बजे तीन वर्ष ट्रक की टक्कर लगने से ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई। हादसे में सवार करीब 35 श्रद्धालुओं में से 25 घायल हो गए। जबकि, दो किशोरियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को डिबाई सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर

मुख्यमंत्री ने राहत के निर्देश दिए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

हालत में दो किशोरियों सहित अन्य घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया।

गांव गढ़ी दहर थाना बरहन जनपद आगरा निवासी महेंद्र सिंह ने चार दिन पूर्व ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। शुक्रवार को वट अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान के लिए महेंद्र सिंह ने गुरुवार देर रात पड़ोसियों और उनके बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठाया और नरौरा स्थित गंगा स्नान के लिए निकले।

पत्नी की गला रेतकर हत्या, पति हुआ फरार

हापुड़। गांव सिकंदरपुर काकोड़ी स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले मजदूर ने धारदार हथियार से गला रेतकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि सिकंदपुर काकोड़ी स्थित ईंट भट्ठे पर मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी विष्णु अपनी पत्नी प्रतिमा 26 वर्षीय के साथ पिछले कुछ दिन से रहता था। गुरुवार रात किसी बात को लेकर विष्णु और प्रतिमा में विवाद हो गया।

कार पलटने से युवक की मौत

हापुड़। कोतवाली अंतर्गत हाईवे 9 अठसैनी मध्य गंगनहर पुल के पास कार रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई और दो पुलों के बीच फंस गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। शोभाराम शर्मा, सपना, सपना का पुत्र 12 वर्षीय केशव निवासी चिल्ला मयूर विहार नोएडा, गीता पत्नी अरुण शर्मा और अरुण शर्मा निवासी पटपड़ गंज दिल्ली शुक्रवार को बृजघाट पर स्नान को आ रहे थे।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (UPCLDF)

पंजीकृत कार्यालय : 29, कबीर मार्ग (निकट योजना भवन), लखनऊ – 226001
दूरभाष नंबर : 0522 – 2235906

पत्रांक: 112/ई–टेंडरिंग/विभिन्न–मंडल/यूपीएलडीएलएफए०/2023–24 दिनांक: 19.05.2023

e-Tender Notice

यूपीएलडीएलएफए० में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों से निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न जनपदों में निर्मित किए जाने वाले निर्माण कार्यों की आनलाईन एवं गुप्तरूपन दिनांक दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 29.05.2023 दोपहर 3:00 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसके सम्बन्धित समस्त विवरण एवं सूचनाएं www.etender.up.nic.in तथा संघ की वेबसाईट www.upcldf.in पर उपलब्ध है।

(1) प्रयागराज में 03 नग, पीलीभीत में 04 नग, बरेली में 04 नग 15 वां वित्त योजना के अन्तर्गत ग्रेल्थ एंड वेलनेस उपकेंद्रों भवन का निर्माण (2) प्रयागराज में 01 नग पीएचएअशीम योजनान्तर्गत उपकेंद्रों के भवन निर्माण। (3) मैनपुरी में 01 नग, मथुरा में 01 नग एवं लखनऊ में 01 नग पशुचिकित्सालय का निर्माण (4) प्रयागराज में 01, लखनऊ 01 नग आईएचएचएलएल का निर्माण (5) बंदायू में 01 नग पर्यटन विकास का कार्य (6) लखनऊ में 02 नग, हरदोई में 02 नग, बदायू में 01 नग, बरेली में 01 नग, उन्नाव में 01 नग, सीतापुर में 01 नग, लखीमपुरखीरी में 01 नग, रायबरेली में 01 नग स्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण।

नोडल अधिकारी
ई - टेंडरिंग कमेटी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, खण्ड मुरादाबाद

पत्रांक: 140/तालिका/मा0ना0मा0ो0/23–24 दिनांक: 08.05.2023

अल्पकालीन पंजीकरण एवं कुटेशन सूचना सं0 01/23–24

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा लघु सिंचाई खण्ड मुरादाबाद, अन्तर्गत, रामपुर तथा जिलापीत में मध्यम गहरे नलकूप कार्यों में छिद्रण कार्य के सम्पादन हेतु विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप छोटी रिग मशीन/मैकेनाइज्ड सुन्दिों के स्वामियों/फर्मों के जनपदवार पंजीकरण आवेदन दिनांक 30–05–2023 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं। पंजीकरण आवेदन प्रपत्र नकद शुल्क रू0 300/– व वर कैरक दिनांक 27–05–2023 से 29–05–2023 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। मध्यम गहरे नलकूप हेतु मशीन की विशिष्टियों सम्बन्धी शीर्षकित मुहरबन्द लिफाफा दिनांक 30–05–2023 को अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, में खोले जायेंगे। आवेदकों द्वारा पंजीकरण हेतु प्रपत्रों के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर दर कुटेशन सील्ड लिफाफे में कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। आवेदन खोलने की तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो आगामी कार्य दिवस में आवेदन खोले जायेंगे। आवेदन के साथ रू0 100000/–(रूपए लाख मात्र) की अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बचक एफ0डी0आर0/एफ0एस0टी0, छिद्रक–पूपक जमापत्रक, एवं रू0 100/– का स्टाम्प एक रू0 के स्टीदी टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बीरिफकार्ड फर्म का पंजीकरण http://gwdonline.in website पर कराना आवश्यक होगा। पंजीकरण की वैधता दिनांक 30–06–2024 तक होगी। पंजीकरण से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखे जा सकते हैं तथा कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(एस0के0पाल)
अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,मुरादाबाद

UP 189461 Dt. 18.05.2023
Website: www.upgov.nic.in

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

(दारुपोर्टनगर, एन0एच0 58, भोपा रोड–ई मेल आईडी–artomu-up@nic.in)

पत्रांक: 573/टी0आर0/एन0जी0टी0/सार्वजनि0/2023 दिनांक: 18.05.2023

"कार्यालय–आदेश/सार्वजनिक सूचना"

सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 3679/टी0आर0/एन0जी0टी0/सार्वजनि0/2022 दिनांक 19.11.2022 द्वारा ऐसे निजी यान (दो पहिया/चार पहिया–गैर परिवहन यान) के स्वामी जिनके यान पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं, का उल्लेखनीय मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र (एन0सी0आर0) में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के आदेश दिनांक 20.07.2016 द्वारा ऐसे वाहनों को वैधजीकरण (De-Registrered) करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। इसकी सार्वजनिक सूचना दिनांक 20.11.2022 को समाचार पत्र (अमर उजाला) में प्रकाशित हो चुकी है। प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में उल्लेख किया गया था कि ऐसे यान के पंजीकृत वाहन स्वामियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने यान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर0) से अन्यत्र ले जायें जाने हेतु पंजीयन नवीनीकरण कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा यान का पंजीयन चिन्ह निरस्त कराये जाने हेतु समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें। सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त जनपद के समाचार पत्र में खबर के माध्यम से भी समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जा चुका है। यह समयावधि 90 दिन से अधिक व्यतीत हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों द्वारा समय सीमा बीत जाने के उपरान्त भी उपरोक्त प्रकार के वाहन का पुनः पंजीयन कराकर अन्यत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाने अथवा पंजीयन चिन्ह निरस्त कराये जाने हेतु अद्यतन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–52 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नही है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा–53 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनहा के लिए खतरा पैदा करेगा और यान, मोटरयान अधिनियम तथा तत्संबंधी नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे निजी यान (दो पहिया/चार पहिया–गैर परिवहन यान) के स्वामी अपने वाहन को संचालित करने के इच्छुक नहीं है।

एतदद्वारा मै, विश्वजीत प्रताप सिंह, पंजीयन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–53 की उपधारा–(1) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद में अप्रैल 1970 से मार्च 2001 तक के पंजीकृत ऐसे सभी गैर–परिवहन यान क्रमशः स्थानीय वाहन सीरीज USP, UHO, UTX, UMU, UVI, UP12A, UP12B, UP12C, UP12D & UP12E के कुल वाहन 91329 (जिन निजी वाहनों की एन0ओ0सी पूर्व में इस कार्यालय से अन्यत्र जनपदों/राज्यों को भेजी जा चुकी हैं, को छोड़कर) का पंजीयन आज दिनांक 18.05.2023 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा–54 के अन्तर्गत यह व्यवस्था निहित है कि किसी वाहन के पंजीयन का निलम्बन लगातार छः माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यदि पंजीयन निलम्बित की गयी कोई वाहन अस्तित्व में हो और संचालन योग्य हो तो छः माह के अन्दर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देकर तथा वाहन प्रस्तुत कर पंजीयन निलम्बन को समाप्त करा लें साथ ही पुनः पंजीयन/एन0ओ0सी0 प्राप्त कर अपने वाहन को अन्यत्र ले जायें अन्यथा उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात आपके वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित वाहन स्वामी का होगा।

(विश्वजीत प्रताप सिंह)
पंजीयन अधिकारी/
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मुजफ्फरनगर।

कार्यालय ग्राम पंचायत पवरसा विकास खण्ड दौराला जनपद (मेरठ)

पत्रांक: नि.सू./2023–24 **निविदा सूचना** दिनांक 19/05/2023

जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत पवरसा में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त, आयोग 14वां/15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से वर्ष 2023–24 में कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री जैसे 1. बालू रेत, मिटटी मरांव कार्य, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ट, रोड़ी, सरिया, डस्ट, कब्बा रोड़ा, पत्थर रोड़ा इंटरलॉकिंग टाईल्स फ्लोर व वाल टाइल्स 2. सोलर लाईट स्थापना व मरम्मत, स्ट्रीट लाईट स्थापना व मरम्मत 3. लोहे की बेंच, ओपन जिम, लाइब्रेरी, स्कूल झूला 4. टंकी फिटिंग, हैण्ड पम्प मरम्मत का सामान, हैण्ड रिबोर 5. स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र व पंचायत कार्यालय 6. विद्युत उपकरण फिटिंग व सामग्री 7. वॉल पेंटिंग, फ्लेक्स, यूनिपोल 8. स्टेशनरी, डस्टबीन, कम्प्यूटर उपकरण, कैमरा, प्रिन्टर, क. ऑपरेटर 9. वैनल फब्रिकेशन, दरवाजे, खिड़कियां आदि 10. कोरोना बचाव सम्बन्धी सामग्री 11. तालाब/नाला सफाई कार्य हेतु जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली तथा सफाई उपकरण इत्यादि 12. ई–रिक्शा क्रय, फोगिंग मशीन क्रय, वाटर क्वूलर, आरो व सार्वजनिक शौचालय आदि अन्य सामग्री की समग्र पर आपूर्ति 13. कूड़ा निस्तारण हेतु प्लास्टिक/पेट बोतल, कटिंग मशीन 14 SBM संबंधी कार्य 15. सिटीजन इंफोरमेशन बोर्ड (मनरेगा) हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यस्थल पर आपूर्ति करने के लिये पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदाएं दिनांक 27/05/2023 व समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। समस्त आमन्त्रित निविदाएं दिनांक 27/05/2023 को 2:00 बजे पंचायत कार्यालय पर निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता का व्यापारकर/आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 20/05/2023 से पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। समर्थित कार्य के लिये सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत पवरसा विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)
सचिव — ग्राम पंचायत पवरसा विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)

कार्यालय ग्राम पंचायत मछरी विकास खण्ड दौराला जनपद (मेरठ)

पत्रांक: नि.सू./2023–24 **निविदा सूचना** दिनांक 19/05/2023

जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत मछरी में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त, आयोग 14वां/15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से वर्ष 2023–24 में कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री जैसे 1. बालू रेत, मिटटी मरांव कार्य, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ट, रोड़ी, सरिया, डस्ट, कब्बा रोड़ा, पत्थर रोड़ा इंटरलॉकिंग टाईल्स फ्लोर व वाल टाइल्स 2. सोलर लाईट स्थापना व मरम्मत, स्ट्रीट लाईट स्थापना व मरम्मत 3. लोहे की बेंच, ओपन जिम, लाइब्रेरी, स्कूल झूला 4. टंकी फिटिंग, हैण्ड पम्प मरम्मत का सामान, हैण्ड रिबोर 5. स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र व पंचायत कार्यालय 6. विद्युत उपकरण फिटिंग व सामग्री 7. वॉल पेंटिंग, फ्लेक्स, यूनिपोल 8. स्टेशनरी, डस्टबीन, कम्प्यूटर उपकरण, कैमरा, प्रिन्टर, क. ऑपरेटर 9. वैनल फब्रिकेशन, दरवाजे, खिड़कियां आदि 10. कोरोना बचाव सम्बन्धी सामग्री 11. तालाब/नाला सफाई कार्य हेतु जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली तथा सफाई उपकरण इत्यादि 12. ई–रिक्शा क्रय, फोगिंग मशीन क्रय, वाटर क्वूलर, आरो व सार्वजनिक शौचालय आदि अन्य सामग्री की समग्र पर आपूर्ति 13. कूड़ा निस्तारण हेतु प्लास्टिक/पेट बोतल, कटिंग मशीन 14 SBM संबंधी कार्य 15. सिटीजन इंफोरमेशन बोर्ड (मनरेगा) हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यस्थल पर आपूर्ति करने के लिये पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदाएं दिनांक 27/05/2023 व समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। समस्त आमन्त्रित निविदाएं दिनांक 27/05/2023 को 2:00 बजे पंचायत कार्यालय पर निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता का व्यापारकर/आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 20/05/2023 से पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। समर्थित कार्य के लिये सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत मछरी विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)
सचिव — ग्राम पंचायत मछरी विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)

कार्यालय ग्राम पंचायत गेसुपुर बफवाल विकास खण्ड दौराला जनपद (मेरठ)

पत्रांक: नि.सू./2023–24 **निविदा सूचना** दिनांक 19/05/2023

जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत गेसुपुर बफवाल में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त, आयोग 14वां/15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से वर्ष 2023–24 में कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री जैसे 1. बालू रेत, मिटटी मरांव कार्य, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ट, रोड़ी, सरिया, डस्ट, कब्बा रोड़ा, पत्थर रोड़ा इंटरलॉकिंग टाईल्स फ्लोर व वाल टाइल्स 2. सोलर लाईट स्थापना व मरम्मत, स्ट्रीट लाईट स्थापना व मरम्मत 3. लोहे की बेंच, ओपन जिम, लाइब्रेरी, स्कूल झूला 4. टंकी फिटिंग, हैण्ड पम्प मरम्मत का सामान, हैण्ड रिबोर 5. स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र व पंचायत कार्यालय 6. विद्युत उपकरण फिटिंग व सामग्री 7. वॉल पेंटिंग, फ्लेक्स, यूनिपोल 8. स्टेशनरी, डस्टबीन, कम्प्यूटर उपकरण, कैमरा, प्रिन्टर, क. ऑपरेटर 9. वैनल फब्रिकेशन, दरवाजे, खिड़कियां आदि 10. कोरोना बचाव सम्बन्धी सामग्री 11. तालाब/नाला सफाई कार्य हेतु जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली तथा सफाई उपकरण इत्यादि 12. ई–रिक्शा क्रय, फोगिंग मशीन क्रय, वाटर क्वूलर, आरो व सार्वजनिक शौचालय आदि अन्य सामग्री की समग्र पर आपूर्ति 13. कूड़ा निस्तारण हेतु प्लास्टिक/पेट बोतल, कटिंग मशीन 14 SBM संबंधी कार्य 15. सिटीजन इंफोरमेशन बोर्ड (मनरेगा) हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यस्थल पर आपूर्ति करने के लिये पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदाएं दिनांक 27/05/2023 व समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। समस्त आमन्त्रित निविदाएं दिनांक 27/05/2023 को 2:00 बजे पंचायत कार्यालय पर निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता का व्यापारकर/आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 20/05/2023 से पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। समर्थित कार्य के लिये सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत गेसुपुर बफवाल विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)
सचिव — ग्राम पंचायत गेसुपुर बफवाल विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिवाया जग्गाउल्लापुर विकास खण्ड दौराला जनपद (मेरठ)

पत्रांक: नि.सू./2023–24 **निविदा सूचना** दिनांक 19/05/2023

जिलाधिकारी महोदय मेरठ के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत सिवाया जग्गाउल्लापुर में चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त, आयोग 14वां/15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से वर्ष 2023–24 में कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री जैसे 1. बालू रेत, मिटटी मरांव कार्य, ईट, सीमेंट, कोरसेन्ट, रोड़ी, सरिया, डस्ट, कब्बा रोड़ा, पत्थर रोड़ा इंटरलॉकिंग टाईल्स फ्लोर व वाल टाइल्स 2. सोलर लाईट स्थापना व मरम्मत, स्ट्रीट लाईट स्थापना व मरम्मत 3. लोहे की बेंच, ओपन जिम, लाइब्रेरी, स्कूल झूला 4. टंकी फिटिंग, हैण्ड पम्प मरम्मत का सामान, हैण्ड रिबोर 5. स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र व पंचायत कार्यालय 6. विद्युत उपकरण फिटिंग व सामग्री 7. वॉल पेंटिंग, फ्लेक्स, यूनिपोल 8. स्टेशनरी, डस्टबीन, कम्प्यूटर उपकरण, कैमरा, प्रिन्टर, क. ऑपरेटर 9. वैनल फब्रिकेशन, दरवाजे, खिड़कियां आदि 10. कोरोना बचाव सम्बन्धी सामग्री 11. तालाब/नाला सफाई कार्य हेतु जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली तथा सफाई उपकरण इत्यादि 12. ई–रिक्शा क्रय, फोगिंग मशीन क्रय, वाटर क्वूलर, आरो व सार्वजनिक शौचालय आदि अन्य सामग्री की समग्र पर आपूर्ति 13. कूड़ा निस्तारण हेतु प्लास्टिक/पेट बोतल, कटिंग मशीन 14 SBM संबंधी कार्य 15. सिटीजन इंफोरमेशन बोर्ड (मनरेगा) हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यस्थल पर आपूर्ति करने के लिये पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निविदाएं दिनांक 27/05/2023 व समय पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। समस्त आमन्त्रित निविदाएं दिनांक 27/05/2023 को 2:00 बजे पंचायत कार्यालय पर निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता का व्यापारकर/आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क देकर दिनांक 20/05/2023 से पंचायत कार्यालय से क्रय की जा सकती है। समर्थित कार्य के लिये सामग्री आपूर्ति की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्रधान — ग्राम पंचायत सिवाया जग्गाउल्लापुर विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)
सचिव — ग्राम पंचायत सिवाया जग्गाउल्लापुर विध्0ख0 दौराला जनपद (मेरठ)